Fax No. 23236140

Phone Nos. 23235570
23235619

INDIAN NURSING COUNCIL
COMBINED COUNCILS BUILDING
KOTLA ROAD, TEMPLE LANE
NEW DELHI - 110 002

Certificate No. 18-31/2690-INC

Date:- 17 SEP 2008

Resolution No. 136/02/JUL/2008

In pursuance of the provisions of sub-section (2) of section 13 of the Indian Nursing Council Act 1947. Indian Nursing Council declares that the course conducted by the Institution mentioned below, is an approved course of study for admission to an approved examination for the said course. The number of students to be admitted is as specified below-

Name of Institution	Name of Course	Number of seats
FARIDA IQBAL SCHOOL OF NURSING,, 37, CANTT ROAD,, LUCKNOW-226 001, UTTAR PRADESH	GNM	60 (Sixty)

This is valid for **2008-2009** academic year and till next inspection

Bharti
for **SECRETARY**
Indian Nursing Council
New Delhi-110002

(T. Dileep Kumar)
PRESIDENT
Indian Nursing Council
New Delhi-110002

उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी

5, सर्वपल्ली, माल एवेन्यू रोड, लखनऊ–226 001, **फोन :** 0522-238846

सं० : 34/06 दिनांक: 4/1/06

सेवा में,

प्रधानाचार्य,
फरीदा इकबाल स्कूल आफ नर्सिंग
37, कैन्ट रोड, लखनऊ।

विषयः– **फरीदा इकबाल स्कूल आफ नर्सिंग, 37, कैन्ट रोड, लखनऊ को सामान्य उपचारिका प्रशिक्षण स्कूल की मान्यता/सम्बद्धता के संबंध में।**

महोदय,

मुझे सूचित करना है कि उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी के निरीक्षकों की निरीक्षण रिपोर्ट की संस्तुति एवं उ0प्र0 शासन चिकित्सा अनुभाग–11 के शासनादेश संख्या 564/5–11–2005–एन(20)/2005 दिनाँक 31.5.2005 तथा भारतीय उपचार्या परिषद, नई दिल्ली के पत्र संख्या 18–31/2690–आई0एन0सी0 दिनाँक 23.12..2005 के आधार पर आपके चिकित्सालय में 40 प्रशिक्षुओं को जनरल नर्सिंग एवं मिडवीफरी प्रशिक्षण में प्रतिवर्ष प्रवेश हेतु निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशिक्षण प्रारम्भ करने के लिए एक वर्ष के लिए मान्यता/संबद्धता प्रदान की जाती है। अगले वर्ष नये सत्र में प्रवेश लेने से पूर्व इस कार्यालय की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है।

1. प्रवेश क्षमता 40 अभ्यर्थी प्रतिवर्ष रखी जायेगी एवं नर्सिंग प्रशिक्षण प्रारम्भ की तिथि प्रतिवर्ष 1 सितम्बर होगी। जैसा कि भारतीय उपचर्या परिषद के नियमों में निर्धारित है। प्रवेश हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण होनी चाहिए एवं आयु प्रवेश वर्ष में 1 सितम्बर को 17 से 35 वर्ष होनी चाहिए।
2. आपके प्रशिक्षण केन्द्र को उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी, राज्य सरकार एवं भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली द्वारा प्रशिक्षण में प्रवेश के संबंध में समय–समय पर जारी किये गये समस्त आदेशों/निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
3. समय–समय पर आपके प्रशिक्षण केन्द्र का निरीक्षण कराया जायेगा और आपके प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा किसी भी निर्देश/शर्तो का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में आपके नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र की मान्यता/संबद्धता समाप्त करने पर विचार किया जा सकता है।
4. किसी भी दशा में निर्धारित भर्ती क्षमता से अधिक अभ्यर्थी भर्ती नहीं किये जायेंगे।
5. चयन समिति में सचिव, उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी या उनके नामित व्यक्ति चयन समिति का सदस्य होगा। चयन हेतु साक्षात्कार तिथि की सूचना कम से कम 20 दिन पूर्व इस कार्यालय में लिखित रूप से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
6. चयन हेतु समाचार–पत्रों में विज्ञापन जारी करने के पूर्व विज्ञापन के प्रारूप को इस कार्यालय का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् ही समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किया जाना सुनिश्चित् करें तथा समाचार पत्र में प्रकाशित होने के पश्चात् समाचार पत्र की प्रति शीध्र कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

कृ0 प0 उ0 ....

7. नर्सिंग प्रशिक्षण में प्रवेश उ0प्र0 के निवासियों का ही होगा। उ0प्र0 के बाहर के अभ्यर्थियों का नर्सिंग प्रशिक्षण में प्रवेश किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।
8. नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र में कार्यरत प्रशिक्षित नर्सिंग ट्यूटर्स के नामों की सूची (संलग्न प्रोफार्मा पर) शैक्षिक योग्यता, अनुभव की अवधि तथा प्रत्येक द्वारा पढ़ाये जाने वाले विषयों का उल्लेख सहित प्रशिक्षण के लिए छात्राओं का चयन करने से पूर्व इस कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करें।
9. उपचारिका प्रशिक्षण प्रवेश में प्रवेश की सूची प्रकाशित करने के पूर्व चयनित छात्राओं के शैक्षिक योग्यता संबंधी प्रमाण–पत्रों की प्रतियाँ भेजकर चयन सूची का अनुमोदन फैकल्टी से प्राप्त करने के पश्चात् ही प्रशिक्षण में प्रवेश लिया जायेगा। चयन सूची में छात्र का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि एवं पता स्पष्ट रूप से अंकित होना चहिये।
10. प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय जनरल नर्सिंग की परीक्षा निर्धारित प्रशिक्षण अवधि पूर्ण होने के पश्चात् ही कराई जायेगी।

प्रशिक्षण में प्रवेश के पूर्व प्रतिवर्ष संबद्धता शुल्क रू.15,000/– इस कार्यालय में जमा करना होगा।

चयन प्रक्रिया के संबंध में वांछित किसी भी जानकारी हेतु प्रधानाचार्य स्कूल आफ नर्सिंग इस कार्यालय में आवश्यकतानुसार सम्पर्क कर सकते/सकती है।

भवदीय,

(डा0 राजेश जैन)

सचिव,

उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी